

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ-43/1/सा.प्र.वि. /2023/560

भिलाई, दिनांक...6/7/23

// आदेश //

श्री किशन बहादुर आ० श्री हरक बहादुर, चौकीदार की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 01.08.2023 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम-56 के अनुसार पूर्व माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2023 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक...6/7/23

पृ.क्रं./एफ- 43/1/सा.प्र.वि./2023/561

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक पेंशन, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. श्री किशन बहादुर आ० श्री हरक बहादुर, चौकीदार नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई